न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 130/20147 **दायरा दिनांक : 15.09.2017**

उनवान

1— राधाबाई पत्नी कालूलाल, जाति माली, निवासी सुमर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

2— कालूलाल पुत्र मांगीलाल, जाति माली, निवासी सुमर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1— राधेश्याम पुत्र गोरीशंकर, जाति माली, निवासी सुमर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

2— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार खानपुर

3— शाखा प्रबन्धक महोदय, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा खानपुर

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री इन्द्र लाल गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री रघुवीर गौड अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 19.04.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 928/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 11.05.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट ने अपीलांट के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 183, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम सूमर, तहसील खानपुर में खतौनी संख्या नयी 387 पुरानी 384 खसरा नम्बर 94 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 459 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 1195 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 1196/1665 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 1200 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 1201 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 1217 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा कुल 7 किता की 16 बीघा 4 बिस्वा आराजी स्थित है, जिसके खातेदार वादी हैं । नामान्तरकरण संख्या 1578 से खसरा नम्बर 94 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा आराजी धर्मेन्द्र, नवल किशोर, धर्मराज पिसरान गजानन्द को बेचान की गई । यह आराजी वादी के खाते से कम हो चुकी है । क्रेतागण के खिलाफ किसी प्रकार की सहायता नहीं चाही गयी है, इस कारण उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है । खसरा नम्बर 459 रकबा 17 बिस्वा और प्रतिवादी के खाते की आराजी से अडवा है जिसका लाभ उठाकर प्रतिवादी ने वादी की आराजी में जबरन अतिक्रमण कर लिया है । सीमाज्ञान कराये जाने पर आराजी को अतिक्रमण मुक्त कर कब्जा संभलाया गया है । पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 06.06.2011 की प्रति सलंग्न है । दो तीन वर्षों से प्रतिवादी ने वादग्रस्त आराजी की पश्चिमी मेड़ पर गढ्ढा कर अतिक्रमण कर लिया है, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है । अतः उसे बेदखल कर कब्जा वादी को संभलाया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 11.05.2017 को दावा वादी डिक्री किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि बिना किसी शहादत के लोक अदालत में एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए निर्णय पारित किया गया है । सी पी सी की पालना नहीं की गई है । कोई राजीनामा पेश नहीं हुआ है । खसरा नम्बर 459 रकबा 11 बिस्वा आराजी वादी के पिता गोरीशंकर से अपीलांट ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सन् 1996 में क्रय की है, इसका कब्जा क्रेता के पास है । अपीलांट ने दिनांक 31.08.2012 को आवासीय उद्देश्य के लिए आराजी का सम्परिवर्तन करा लिया है, मकान का निर्माण कर लिया है। शेष जमीन पर फलदार वृक्ष लगा रखे हैं । जिस पैमाईश रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट की बेदखली के आदेश पारित किये गये हैं वह अपीलांट की उपस्थिति में तैयार नहीं की गई है, न ही कोई मुस्तकिल बिन्दु कायम किया गया है । अपीलांट के खाते की आराजी की पैमाईश नहीं की गई है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 28.08.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि लोक अदालत में बिना सी पी सी की पालना किये निर्णय पारित किया गया है । पक्षकारों के मध्य कोई

राजीनामा नहीं हुआ है । वादग्रस्त आराजी अपीलांट की क्रयशुदा आराजी है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि लोक अदालत में विधिक प्रावधानों के अनुसार निर्णय पारित किया गया है । मौका रिपोर्ट के मध्य नजर रखते हुए तथ्यों के आधार पर निर्णय पारित किया गया है । अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाबदावे में लम्बित थी और इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादी उपस्थित थे, परन्तु प्रतिवादीगण में से कोई भी उपस्थित नहीं थे और न ही पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा हुआ है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभयपक्ष ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो । उसके अभाव में सी पी सी के प्रावधानों के अनुसार जवाब दावा प्राप्त कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है, इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व

डिक्री दिनांक 11.05.2017 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 26.06.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 19.04.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा